

फॉर्म सी

ए. एसए के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित लेखा परीक्षा फर्म की पात्रता के संबंध में एसटीसीबी/सीसीबी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

एसटीसीबी/सीसीबी मैसर्स _____, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या _____) को वित्तीय वर्ष _____ के लिए उनके पहले/दूसरे/तीसरे वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक (एसए) के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त करने के इच्छुक हैं और इसलिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(1ए) के अनुसार आरबीआई से पूर्व अनुमोदन मांगा जा रहा है।

2. एसटीसीबी/सीसीबी ने परिपत्र संदर्भ क्र.डीओएस.एआरजी/एसईसी 8/08.91.001/2023-24 दिनांक जनवरी 15, 2024, द्वारा जारी 'राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) के सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश' के परिशिष्ट I में निर्धारित पात्रता के सभी मानदंडों पर (लेखा परीक्षा फर्म का नाम और फर्म पंजीकरण संख्या) से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है एवं प्रासंगिक जानकारी के साथ, आरबीआई द्वारा निर्धारित परिपत्र के फॉर्म बी में वित्तीय वर्ष _____ के लिए एसटीसीबी/सीसीबी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त किया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

3. फर्म का एसए के रूप में एसटीसीबी/सीसीबी के साथ _____ वर्षों (वित्तीय वर्ष _____ और वित्त वर्ष _____ के बीच) और गैर लेखा परीक्षा कार्य के लिए एसटीसीबी/सीसीबी के साथ _____ वर्षों (वित्त वर्ष _____ और वित्त वर्ष _____ के बीच) के लिए कोई पूर्व संबंध/संबद्धता नहीं है।

4. एसटीसीबी/सीसीबी ने एसटीसीबी/सीसीबी के एसए की नियुक्ति के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों के संबंध में उक्त फर्म के अनुपालन को सत्यापित किया है।

बी. अतिरिक्त जानकारी

(i) पिछले छह वर्षों के लिए फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन) के साथ सांविधिक लेखा परीक्षा फर्म का नाम:

क्र सं	लेखा परीक्षा फर्म का नाम	एफआरएन	लेखा परीक्षा का वित्तीय वर्ष

(ii) लेखा परीक्षा फर्म के गठन प्रमाण पत्र की पिछले वित्तीय वर्ष की प्रति।

हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम)

दिनांक: